उत्तर प्रदेश शासन
कृषि अनुभाग-1
संख्या-4/2018/1366/12-1-18-200(2)/2018
लखनऊ: दिनॉक: 31 मई, 2018

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1064/12-1-15-200(2)/16 दिनांक 30 जून, 2016 द्वारा श्री शेष नारायण दुबे, उप कृषि निदेशक, गौतमबुद्ध नगर को स्थानान्तरित करते हुए उप कृषि निदेशक (भू0सं0), गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर के पद पर तैनात किया गया, जिसके फलस्वरूप उक्त पद पर कार्यरत श्री दिनेश कुमार गुप्ता प्रतीक्षारत हो गये।

2. शासन के स्थानान्तरण आदेश दिनांक 30 जून, 2016 के विरूद्ध श्री दिनेश कुमार गुप्ता द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ में रिट याचिका संख्या-22358(एस0बी0)/2016 दिनेश कुमार गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी। उक्त याचिका में दिनांक 22.09.16 को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा शासन के स्थानान्तरण आदेश को स्थगित करते हुए श्री गुप्ता को उस पद पर कार्य करने के आदेश दिये गये। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश का सुसंगत अंश निम्नवत् हैः

In the aforesaid circumstances, operation of the order dated 30.06.2016, contained in Annexure No.1 passed by the opposite party no.1 shall remain stayed and the petitioner shall be allowed to continue on the post in question."

3. मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के समादर में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1736/12-1-16-रि0या0-23/16 दिनांक 21 नवम्बर, 2016 द्वारा स्थानान्तरण आदेश दिनांक 30.06.2016 को रिट याचिका में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन स्थगित करते हुए श्री गुप्ता को उप कृषि निदेशक (भू0सं0), गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर के पद पर कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की गयी। तदनुसार श्री गुप्ता उक्त पद पर निरन्तर कार्यरत है।

4. कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-3/2018/1/3/96-का-4-2018 दिनांक 29.03.18 के द्वारा निर्गत सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति, 2018-19 में यह प्राविधान है कि "जिलों में समूह-"क" एवं "ख" के जो अधिकारी अपनी सेवाकाल में कुल 03 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, उनको उक्त जिलों से स्थानान्तरित कर दिया जाय।" श्री गुप्ता वर्तमान पद पर दिनांक 31.03.18 को कुल 04 वर्ष, 09 माह, 04 दिन की सेवा पूर्ण कर चुके हैं। इस प्रकार वे वर्तमान स्थानान्तरण नीति 2018-19 से आच्छादित होते हैं।

अतः सम्यक विचारोपरान्त श्री दिनेश कुमार गुप्ता, उप कृषि निदेशक (भू0सं0) , गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर को स्थानान्तरित करते हुए उप कृषि निदेशक, सोनभद्र के पद पर तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हैं।

5- श्री गुप्ता को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने नये तैनाती स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करके कार्यभार प्रमाणक शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध करायेंगे।

मंजू लता सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-4/2018/1366(1)/12-1-18-200(2)/2018 व तदद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, लखनऊ।
3- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी द्वारा कृषि निदेशक, उ0प्र0।
4- कृषि निदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
5- अपर कृषि निदेशक (प्रशा0), कृषि भवन, लखनऊ।
6- संबंधित अधिकारी द्वारा कृषि निदेशक, उ0प्र0।
7- संबंधित कोषाधिकारी द्वारा कृषि निदेशक, उ0प्र0।
8- वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, कृषि भवन, लखनऊ।
9- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

मंजू लता सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।